Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री मुरारीलाल शर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 23/2020

1. किरण पुत्री सुरजभान पुरोहित
2. अनिता पुत्री सुरजभान पुरोहित पत्नी श्री मधुकर
3. डॉ. ममता पुत्री सुरजभान पुरोहित पत्नी डॉ. अखिल शुक्ला
4. सुनिता पुत्री सुरजभान पुरोहित पत्नी राजेश भाटिया
5. कल्पना पुत्री सुरभान पुरोहित पत्नी हिमांशू समस्त जाति ब्राहमण निवासीगण नवलगढ़ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू हाल जयपुर (राजस्थान)

– वादीगण

बनाम

1. प्रकाश चन्द्र
2. रविन्द्र कुमार
3. महेन्द्र कुमार पुत्रान् सुरजभान जातिगण ब्राहमण निवासी पुलिस थाने के पास सिनेमा हॉल, नवलगढ तहसील नवलगढ।
4. श्रीमती अनुराधा पुत्री सुरजभान पत्नी विष्णुअवतार जाति ब्राहमण निवासी नवलगढ हाल मकान संख्या 190 सांघी फार्म हाउस के सामने मिलाफ नगर टोंक रोड जयपुर तहसील व जिला जयपुर।
5. भूमिधारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
6. उप–पंजीयक राजस्थान सरकार नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री अश्विनी कुमार महर्षी
वकील प्रति. :– श्री विकास कुमार सैनी व सम्पत सिंह शेखावत।

दावा बाबत घोषणार्थ स्थाई निषेधाज्ञा बंटवारा

:: निर्णय ::

दिनांक– 31.01.2020

वादीगण द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम ढाणिया कानाकावाली पटवार हल्का नवलगढ़ तहसील नवलगढ की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नई 83 पुरानी 72 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 145/0.04, 146/2.94 कुल किता 2 कुल रकबा 2.98 हैक्टर स्थित है। उक्त भूमि को आगे वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है। उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि वादीनीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 की पैत्रिक सम्पति है। वादीनीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 का सजरा खानदान निम्न प्रकार है सुरजभान पुरोहित पुत्र शिवप्रसाद के वारिस किरण (वा.न.1), प्रकाश चन्द्र (प्र.न.1), रविन्द्र (प्र.न.2), अनुराधा (प्र.न.4), महेन्द्र (प्र.न.3), अनिता (वा.न.2), ममता (वा.न.3), सुनिता (वा.न.4), कल्पना (वा.न.5) है। उपरोक्त वर्णित सम्पति

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

वादीनीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 की पैतृक शामलाती खातेदारी की सम्पति है उक्त सम्पति पूर्व में स्व0 श्री सुरजभान पुरोहित पुत्र शिवप्रसाद के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी तथा उन्ही का कब्जा व अधिकार था जिनका देहान्त हो चुका है जिनके देहान्त के पश्चात नामान्तरकरण गलत रूप से प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 व स्व0 श्रीमती प्रेमकुमारी पत्नी सुरजभान पुरोहित के नाम से 1/4 – 1/4 हिस्से का खोला गया। जबकि उपरोक्त सम्पति का नामान्तरकरण स्व0 सुरजभान के देहान्त के बाद वादीनीकरण व प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 व श्रीमती प्रेमकुमारी के नाम से 1/10– 1/10 हिस्से का खोला जाना चाहिए था। श्रीमती प्रेमकुमारी का देहान्त दिनांक 04.07.2008 को होने पर उनके स्थान पर वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण आज तक नही खोला गया है जबकि वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 की संयुक्त खातेदारी की भूमि जो ग्राम मोहब्बतसर पटवार हल्का चेलासी में खसरानम्बर 290 रकबा 2.26 हैक्टर का नामान्तरण श्रीमती प्रेमकुमारी के स्थान पर वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 के नाम खोला जा चुका है पर उपरोक्त भूमि का नामान्तरकरण प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 3 ने आज तक छुपाये रखा है तथा सही वारिसों के नाम नामान्तरकरण नही करवाया है, जबकि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में सभी वारिसों यानि वादीनीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 का बराबर–बराबर 1/9 – 1/9 हिस्सा है और इसी अनुसर मोके पर कब्जा काश्त है पर राजस्व रिकार्ड में विरासत का नामान्तरण हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम के अनुसार होना चाहिए। क्योकि स्व0 सुरजभान जी के 9 वारिस जिनमें 6 पुत्रियां व तीन पुत्र शामिल है तथा स्व0 सुरजभान जी की पत्नी श्रीमती प्रेमकुमारी जिनका देहान्त हो चुका है उनके भी उपरोक्त 9 वारिस पुत्र पुत्रियां है। इसलिए स्व0 सुरजभान जी व प्रेमकुमारी दोनों के वारिस ही उपरोक्त वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 है। इसलिए उपरोक्त भूमि में उपरोक्त सभी 9 वारिसों का कब्जा अधिकार है तथा खातेदारी अधिकार है। जिनके राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हिन्दू उत्तराधिकार में विरासत के अधिकार प्राप्त है। जिसकी घोषणा घोषणा किया जाना आवश्ययक है। वाद पत्र की मद सेख्या 1 में दर्ज वादग्रस्त आराजी में वादीनीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 का 1/9 –1/9 हिस्सा है जिसकों वादीनीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 शामलाती रूप से काश्त करते है, उक्त वादग्रस्त भूमि की खातेदारी पूर्व में वादीनीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 की माता व पिता के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी, वादीनीगण के पिता का स्वर्गवास होने पर प्रतिवादी नम्बर 1 लागयत 3 ने राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों से साज बाला–बाला ही विरासत प्रेमकुमारी जी केनाम दर्ज करवा लिया। वादीनीगण अपने कार्य से जयपुर निवास करते है जिससे उसकों राजस्व रिकार्ड की जानकारी नही मिली थी तथा प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 वादीनीगण के सगे भाई है इसलिए प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 के साथ वादीनीगण का नजदीकी रिश्ता होने के कारण व आपस में विश्वास होने के कारण वादीनीगण को राजस्व रिकार्ड की जानकारी नही हुई। परन्तु दिनांक 16.05.2012 का वादीनीगण ने प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 को धमकी दी कि वादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड हमारे नाम से बना हुआ है हम भूमि को विक्रय करेंगे तो वादीनीगण ने राजस्व रिकार्ड की दिनांक 04.06.2012 को नकल ली तो वादीनीगण को गलत राजस्व रिकार्ड की जानकारी हुई तो वादीनीगण ने अपने अधिकारों की रक्षार्थ उक्त वाद पेश किया है तथा स्थाई निषेधाज्ञ चाही है। वादीनीगण स्व0 सुरजभान पुरोहित की जायन्दा पुत्रीयां है जो सुरजभान पुरोहित की मृत्यू उपरान्त उतराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रथम अनुसूचि की वारिस है जिसका प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 के

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

Scanned by CamScanner

बराबर वादग्रस्त भूमि में हिस्सा है परन्तु प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 ने राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों से साज करके बाला–बाला ही वादीनीगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही राजस्व रिकार्ड अपने नाम से गलत बनवा दिया है गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर किसी को कोई हक अधिकार नही मिलते है, सुरजभान पुरोहित की सम्पति में वादीगण का 1/9 – 1/9 यानि सम्पूर्ण भूमि में 5/9 हिस्सा है तथा प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 का भी 1/9 – 1/9 हिस्सा यानि 4/9 हिस्सा है जिसका वादीनीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। जिसके लिए उक्त वाद बाबत उदघोषणा खातेदारी अधिकार श्रीमानजी की सेवामें पेश किया है। वाद पत्र की मद संख्या 1 में दर्ज वादीनीगण की पैतृक सम्पति है वादीनीगण के पिता सुरजभान पुरोहित की सम्पति में प्रत्येंक वादीनीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 का 1/9 – 1/9 हिस्सा है, परन्तु प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 ने राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों से मिलकर गलत राजस्व रिकार्ड बनवा लिया है वादीनीगण स्व0 सुरजभान पुरोहित की जायन्दा पुत्रियां है जिसका भी प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 के बराबर ही हक व हिस्सा है इस कारण वादीनीगण का प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का संतुलन भी वादीनीगण के पक्ष मे पड़ता है। यदि प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 अपने नाम गलत राजस्व रिकार्ड दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर अपने नाम दर्ज भूमि को किसी वित्तीय संस्था के रहन रखकर या किसी को विक्रय करके अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित कर देगे तो वादीनीगण को अनावश्यक मुकदमें बाजी में फंसना पड़ेगा जिससे वादीनीगण को इतना नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नही होगी, इसलिए प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक है जिसके लिए उक्त वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा श्रीमानजी की सेवामें मे पेश किया है। उपरोक्त भूमि का बंटवारा सभी वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 के मध्य प्राथमिक डिक्री मिनिट्स एण्ड बाउण्डस के अनुसार मंगवाई जाकर विभाजन किया जावे तथा सभी का हिस्सा नक्शे में दर्शाया जाने की कृपा की जावे। उक्त वाद के लिए वादधिकार दिनांक 18.05.2012 को प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 के द्वारा गलत रिकार्ड के आधार पर वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने की धमकी देने पर वादीनीगण द्वारा दिनांक 04.06.2012 को राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर गलत राजस्व रिकार्ड का पता चलने के रोज अदालत हाजा के क्षैत्राधिकार में पैदा हुआ है। वादग्रस्त भूमि ग्राम कानाकावाली ढाणी की सरहद में स्थित है तथा वाद खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञ का होने से उक्त वाद सुनने का श्रीमान को पूरा–पूरा क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त हुआ है।

वादीनीगण द्वारा वाद–पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा गया कि वाद बहक वादीनीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर ग्राम कानाकावाली ढाणी पटवार हल्का नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू की सरहद में आराजी खाता संख्या 83 पुरानी 72 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 145/0.04 व 146/2.94 कुल किता 2 कुल रकबा 2.98 हेक्टर यानि विवादग्रस्त भूमि मय चाह में प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 का गलत नामान्तकरण से बढा हुआ कम किया जाकर प्रत्येक वादीनीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 को 1/9 – 1/9 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

उपरोक्त पैरा नम्बर (क) में वर्णित भूमि का मिट्स एण्ड बाउण्डस के अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर विभाजन प्रस्ताव के अनुसार सभी के मध्य बंटवारा किया जाकर तथा उसके अनुसार नक्शे में अमल दरामद किया जाने की आज्ञा फरमाई जावे।

अन्य कोई सिद्धी जो चाही जाने से रह गई हो तो वादीनीगण के पक्ष मं पडती हो वादीनीगण को दिलवाई जावे। हर्जा खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3, 5, 6 बावजूद तामिल के उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीये कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी नम्बर 4 फौत हो गई। प्रतिवादी अनुराधा की ओर से वकील श्री सम्पत सिंह शेखावत ने वकालत नामा पेश किया। प्रकरण दौरान कार्यवाही के माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के यहां अपील दायर होने पर तलब करने पर मूल प्रकरण माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाई जा चुकी थी। अपीलीय न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा उभयपक्षकारान के मध्य राजीनामा होने से प्रकरण को विड्रा करने करने का निवेदन करने पर प्रकरण को खारिज करवा लिया गया।

मूल प्रकरण न्यायालय को प्राप्त होने पर उभय पक्षकारान मय वकील उभय पक्ष द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया है कि वादी व प्रतिवादीगण के मध्य चल रहे विभिन्न वादों मे राजीनामा हो गया है, वादीगण ने अन्य समस्त भूमियों में अपना हक प्रतिवादीगण के हक में छोड़ दिया है पर इस प्रकरण में प्रतिवादीगण व वादीगण में मध्य राजीनामा हुआ है कि उपरोक्त वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूम ग्राम कानाकावाली ढाणी वर्तमान में ज्योतिनगर तहसील नवलगढ में भूमि खसरा नम्बर 145 रकबा 0.0400 हैक्टर व खसरा नम्बर 146 रकबा 2.94 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.98 हेक्टर भूमि में वादी नम्बर 2 अनिता का 1/8 हिस्सा, वादी सुनीता का 1/8 हिस्सा व वादी कल्पना का 1/8 हिस्सा व शेष 5/8 हिस्सा प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 का है तथा वादी नम्बर 1 किरण का देहान्त हो गया है इस कारण से समस्त वादी व प्रतिवादी गण का हिस्सा 1/8 हो गया है तथा प्रतिवादी नम्बर 4 अनुराधा व वादी संख्या 3 ममता अपना हिस्सा नही लेना चाहती है। प्रतिवादी नम्बर 4 अनुराधा व वादी नम्बर 3 ममता ने अपना हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के हक में छोड़ दिया है। अतः इसलिये उपरोक्त वर्णित भूमि मे प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 का 5/8 हिस्सा व वादीगण अनिता, सुनिता, कल्पना का 1/8, 1/8, 1/8 कुल 3/8 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने का आदेश फरमाया जावे तथा इसी अनुसार डिक्री जारी की जावे।

उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। उभय पक्षकारान के मध्य आपस में राजीनामा हो चुका है तथा उभय पक्षकारान राजीनामा अनुसार प्रकरण को डिक्री करवाये जाने की सहमति प्रदान की है। अतः उभयपक्ष के राजीनामा के आधार पर वाद वादीगण न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाना उचित है। अतः वादी वादीगण राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

:: आदेश ::

वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा उभय पक्षकारान स्वीकार किया जाता है। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। ग्राम कानाका वाली ढाणी के भूमि खाता संख्या नई 83 पुरानी 72 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 145/0.04, 146/2.94 कुल किता 2 कुल रकबा 2.98 हैक्टर में वादी नम्बर 2 अनिता का 1/8 हिस्सा, वादी सुनीता का 1/8 हिस्सा व वादी कल्पना का 1/8 हिस्सा व शेष 5/8 हिस्सा प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनानुसार पर्चा डिकी जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31-1-2020

उपखण्ड अधिकारी

(मुरारीलाल शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी

नवलगढ

Scanned by CamScanner

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ
श्री मुरारीलाल शर्मा (आर०ए०एस०) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

दावा– इस्तकरार हक, हुक्म इम्तनाई दवामी व बंटवारा जमीन

मुकदमा सं0:– 23/2020 (किरण देवी आदि बनाम प्रकाश आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **श्री मुरारीलाल शर्मा** (आर०ए०एस०),उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब– मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 31.01.2020 निर्णय वाद वादीगण मुताबिक वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। ग्राम कानाका वाली ढाणी के भूमि खाता संख्या नई 83 पुरानी 72 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 145/0.04, 146/2.94 कुल किता 2 कुल रकबा 2.98 हैक्टर में वादी नम्बर 2 अनिता का 1/8 हिस्सा, वादी सुनीता का 1/8 हिस्सा व वादी कल्पना का 1/8 हिस्सा व शेष 5/8 हिस्सा प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे।

जन........–.................. मुबलिग..........–..........बाबत.....–...............खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....–....................... फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....–...........का अदा करे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 31 माह 01 सन. 2020 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ
उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	4.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	2.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	6.00	मुतफरिक मिजान	0.00

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2020.02.20 16:03:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: